DEMOLITION OF HOUSES IN KHORI VILLAGE

727. SHRI NEERAJ SHARMA M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state:

a) whether it is a fact that the houses of poor in Khori village of Faridabad have been demolished under the orders of the Hon'ble Supreme Court; if so, the total number of houses demolished together with the total number of families rehabilitated; and

b) the action taken by the Government against the officers of Police Department, Electricity Department, Municipal Corporation and other Administrative Officers who were deputed at the time of construction of above said houses in village Khori together with the details thereof?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

(a) It is a fact that approximate 6,663 illegal constructions including 5,158 houses/jhuggis weredemolished in the KhoriJhuggieBastisituated in the Revenue Estate of villageLakkarpurwhich existed on the Municipal Corporation,Faridabad land in compliance of Hon'ble Supreme Court of India orders, dated 19.02.2021 in SLP No. 7220-7221/2017 titled as MCF v/s KhoriGaon Resident Welfare Association and order, dated 07.06.2021 passed in writ petition (Civil) No. 592/2020-21 titled as SarinaSarkar& Others v/s State of Haryana and Others by following due process of law.

In order to rehabilitate the displaced families, the Government approved "Housing Plan for Rehabilitation of Khori (Lakkarpur Revenue Estate) JhuggieDwellers sitting on municipal landof Municipal Corporation, Faridabad." Municipal Corporation, Faridabad received total 6092 numbers of applications (including duplicate & triplicate applications) before last date i.e., 15.11.2021. These applications are being scrutinized as per the eligibility criteria specified in the Housing Plan. About 1027 numbers of applicants have been found eligible for rehabilitation so far. Further, finalization of eligible applicants is under process.

The eligible applicants will be rehabilitated in the 2545 number of EWS houses constructed under JnNURM at DabuaColony and Bapu Nagar. M.C., Faridabad has given undertaking in Hon'ble Supreme Court of India that the possession of EWS flats will be handed over to the eligible applicants by 30.04.2022.

(b) The encroachment on the aforesaid MC, Faridabad land existed since long back and MC, Faridabadtook action from time to time to remove the encroachments but there was ‘status quo’ in different Courts with regard to dis-possession of the occupants/petitioners from time to time. MCF filed SLP before Hon’ble Supreme Court of India against these orders and removed the encroachmentsas mentioned above. Moreover, Municipal Corporation, Faridabad asked all the concernedDepartmentsto provide the details of officers/officials posted during the period of encroachment on the above-said MCF land, which is still awaited.

खोरी गांव में गिराये गए घरों की संख्या

727. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत फरीदाबाद के गांव खोरी में गरीबों के घर गिराये गये हैं; यदि हां, तो गिराये गये घरों की संख्या कितनी है तथा पुर्नवासित परिवारों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ख) गांव खोरी में उपरोक्त घरों के निर्माण के समय पर नियुक्त किये गए पुलिस, बिजली विभाग, नगरपालिका तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या हैं?

डा०कमलगुप्ता, शहरीस्थानीय निकाय मंत्री

जी हां, श्रीमान जी,

(क) यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस.एल.पी.नंबर 7220–7221/2017 नगरनिगम, फरीदाबाद बना मरेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व सिविलरिट याचिका संख्या 592/2020–21, दिनांक 07.06.2021 सरिना सरकार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार में पारित आदेश की अनुपालना में नगर निगम, फरीदाबाद भूमि पर ग्राम लक्करपुर के राजस्व एस्टेट में स्थित खोरी झुग्गी बस्ती में 5,158 घरों/झुग्गीयों सहित लगभग 6,663 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था।

सरकार ने इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेत नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर बैठे खोरी (लक्कड़पुर राजस्व संपदा) झुग्गी निवासियों के लिए 'आवास योजना' का मंजूरी दी। नगर निगम, फरीदाबाद को अंतिम तिथि यानी 15.11.2021 तक कुल 6,092 आवेदन (डुप्लिकेट और तीन प्रतियों सहित) प्राप्त हुए।इन आवेदनों की आवास योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्रता हेतु जांच की जा रहीहै।अभी तक 1,027 आवेदक योजना के पात्र पाए गएहैं व शेष आवेदनों की जांच प्रक्रिया मे है।

पात्र आवेदकों को डबुआ कॉलोनी एवं बापूनगर में जवाहरलाल नेहरू अर्बनरिन्यूवल मिशनके तहत निर्मित 2,545 ई.डब्ल्यू.एस.आवासों मे पुनर्वास दिया जाएगा। नगरनिगम, फरीदाबाद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह अन्डरटेकिंग दी है कि ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का कब्जा पात्र आवेदकों को 30.04.2022 तक सौंप दिया जाएगा।

(ख) उक्त नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर अतिक्रमण बहुत पहले से मौजूद था और नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा समय–समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन कब्जेदारों/याचिकाकर्ताओं के कब्जे के संबंध में 'यथास्थिति' बनाए रखने हेतु समय–समय पर न्यायालयों से आदेश मिलते रहें हैं।नगर निगम, फरीदाबाद ने इन आदेशों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की और ऊपर बताए गए अवैध अतिक्रमणों को हटा दिया। इसके अतिरिक्त नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सभी विभागों को उक्त नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर अतिक्रमण की अवधि के दौरान तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण की मांग की गई, जो अभी भी अपेक्षित है।